[2021] 2 एस. सी. आर. 644

भारत शंकर निगम लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। 843-844 2021 का)

10 मार्च, 2021

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 11-अपीलार्थी द्वारा जारी सीमा निविदा अवधि के तहत आवेदन

प्रत्यर्थी ने खरीद आदेश दिया-कार्य पूरा होने पर, अपीलार्थी ने परिसमापन के लिए कुछ राशि रोक ली

हर्जाना/अन्य शुल्क-प्रत्यर्थी ने मई 2014 में उसी के भुगतान के लिए दावा किया-अगस्त 2014 में अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार-2020 में, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता खंड का आह्वान किया-अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार-प्रत्यर्थी ने यू / एस. 11-उच्च न्यायालय ने विवादों को मध्यस्थता समीक्षा याचिका-खारिज-अपील पर निर्दिष्ट किया: के लिए सीमा अवधि

यू/आवेदन दाखिल करना एस. 11 पहली अनुसूची, 1963 अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगा-यह उस तारीख से चलना शुरू हो जाएगा जब मध्यस्थ की नियुक्ति में विफलता होगी-अपवादात्मक मामलों में, जहां दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं, न्यायालय संदर्भ देने से इनकार कर सकता है-वर्तमान मामले में, कार्रवाई का कारण 04.08.14 पर उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों को 29.04.20 पर लागू मध्यस्थता की अपीलकर्ता सूचना द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा खारिज कर दिया गया था।

09.06.20 पर-इस प्रकार, आवेदन यू / 24.07.20 पर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई धारा 11 अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर थी यानी मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध की अस्वीकृति के 3 साल के भीतर-हालाँकि, दावे पूर्व-दृष्टि में साढ़े पाँच साल से अधिक समय के लिए वर्जित हैं-पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

- विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-प्रतिवादी यू/द्वारा दायर आवेदन

एस. 11 , खारिज-सीमा अधिनियम, 1963-पहली अनुसूची-अनुच्छेद 137-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015-एस. एस. 11 (13) , 29ए, 34 (6)-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 - धारा 11 (6ए), (8)-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - एस. 13,14-अधिकतम।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-योजना और उद्देश्य

अधिनियम-एसएस। 8 , 9 (2) , 11 , 13 , 116 (2) , 34 (3) – एस में संशोधन। 11 - आयोजित किया गया: संसद एस में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। 11 अवधि प्रदान करने के लिए

644 भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के उद्देश्य के अनुरूप इस प्रावधान के तहत आवेदन दायर करने की सीमा।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 11 - संशोधन से पहले और बाद की स्थिति के दायरे के तहत अधिकार क्षेत्र पर चर्चा की गई।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-सीमा न्यायिक मुद्दा या स्वीकार्यता मुद्दा-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11।

विवादों के शीघ्र समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 बनाया गया है और इसके विभिन्न प्रावधान हैं -

अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। 1996 के अधिनियम में विभिन्न समय-सीमाएँ प्रदान की गई हैं। 1996 के अधिनियम में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था ताकि मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के लिए आगे के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। धारा 11 में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उप-धारा (6) के तहत आवेदन दायर करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। चूँकि 1996 के अधिनियम में धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्दिष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी को इसका सहारा लेना होगा - सीमा अधिनियम, 1963, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, जो यह प्रावधान करता है कि सीमा अधिनियम मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसा कि यह न्यायालय में कार्यवाही पर लागू होता है। चूँकि सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में कोई भी अनुच्छेद समय अवधि प्रदान नहीं करता है।

धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने के लिए, यह सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अवशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत आएगा। दाखिल करने की सीमा

धारा 11 के तहत आवेदन मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस के जारी होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफलता पर उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में, धारा 11 के तहत एक आवेदन मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाले विशेष दावे/विवाद के संबंध में मध्यस्थता की सूचना के बाद ही दायर किया जा सकता है [जैसा कि अधिनियम की धारा 21 द्वारा विचार किया गया है] [2021] 2 एस. सी. आर.

किया जाता है, और नियुक्ति करने में विफलता होती है। अवधि.

मध्यस्थों की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए सीमा को भ्रमित या मूल दावों पर लागू सीमा की अवधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध। ऐसे दावों के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम, 1963 के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत निर्धारित की गई है। अंतर्निहित मूल को तय करने की सीमा

विवाद अनिवार्य रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने से अलग होते हैं। [पैरा 6,7,9-12] [654-E-F; 655-C; 656-B-D; 657-B-C, D-G]

1996 , न्यायालयों ने इस स्थिति का सहारा लिया है कि सीमा अवधि अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगी, जो आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होने की तारीख से 3 साल की अवधि प्रदान करता है। हालांकि, यह दाखिल करने के लिए एक अनुचित लंबी अवधि है। आवेदन यू/एस। 11 , क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो वाणिज्यिक समाधान के लिए शीघ्रता से प्रावधान करता है।

समयबद्ध अवधि के भीतर विवाद। विधायी को देखते हुए

इरादे से, धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए 3 साल की अवधि अधिनियम की योजना के विपरीत होगी। संसद के लिए यह आवश्यक होगा कि वह धारा 11 में संशोधन करे, जिसमें सीमा की एक विशिष्ट अवधि निर्धारित की जाए, जिसके भीतर कोई पक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता की नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अदालत का रुख कर सकता है। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि धारा 11 के तहत आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। नॉर्टेल ने दिनांकित 29.04.2020 पत्र के माध्यम से मध्यस्थता का नोटिस जारी किया, जिसे बीएसएनएल द्वारा दिनांकित 09.06.2020 के अपने जवाब के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। धारा 11 के तहत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष 24.07.2020 यानी मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध की अस्वीकृति के 3 साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था। [पारस 17,18] [661-सी-एच]

2.1 क्या न्यायालय धारा 11 के तहत संदर्भ देने से इनकार कर सकता है जहां दावे समय-वर्जित हैं।

धारा 11 का विधायी इतिहास

संशोधन-पूर्व स्थिति

मूल अधिनियम के तहत, धारा 11 के तहत विधायी योजना यह थी कि यदि पक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत हुए थे।

वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

मध्यस्थ की नियुक्ति, नियुक्ति उस प्रक्रिया के अनुसार की जानी थी। पक्षकारों के बीच समझौते के अभाव में, घरेलू मध्यस्थता में नियुक्ति की डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

उसके द्वारा नामित न्यायालय, या व्यक्ति, या संस्था। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश या व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, या

उनके द्वारा नामित संस्था। उच्चतम न्यायिक प्राधिकारी को नियुक्ति की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य था

नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए विश्वसनीयता। [पैरा 19] [662-ए-ई]

संशोधन के बाद की स्थिति

1996 के अधिनियम को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था जो 23.10.2015 से प्रभावी हुआ था। 2015 के संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू मध्यस्थता के मामले में नियुक्ति की डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में प्रतिस्थापित किया; और, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संबंध में, डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसने धारा 11 में उप-धारा (6ए) और (6बी) अंतःस्थापित की। संशोधन का प्रभाव यह था कि यदि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवाद में नहीं था, तो अन्य सभी मुद्दों को निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाएगा। यह कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत के सुदृढ़ीकरण में था, जो न्यायाधिकरण को किसी भी आपत्ति सहित अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार देता है। मध्यस्थता समझौते की वैधता के संबंध में; और इस प्रकार पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को कम से कम करें। संशोधित में निहित विधायी जनादेश को ध्यान में रखते हुए

धारा 11 (6ए), न्यायालय को अब केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है। अन्य सभी प्रारंभिक या सीमा मुद्दों को धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ सिद्धांत को स्थापित करता है।

कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है, और सभी अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के निर्धारण सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना था, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया [2021] 2 एस. सी. आर. न हो।

जब पक्षों द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है तो सीमा पर विफल कर दिया जाता है। [पैरा 23,26] [665-सी-एफ; 666-बी-सी; 668-ई-जी]

2.2 सीमा का मुद्दा

सीमा आम तौर पर तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा। वहाँ है,

हालाँकि, अधिकार क्षेत्र और स्वीकार्यता के मुद्दों के बीच एक अंतर। 'अधिकारिता' का मुद्दा शक्ति से संबंधित है और

किसी मामले को सुनने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थों का अधिकार। न्यायक्षेत्र संबंधी मुद्दों में क्षमता पर आपत्तियाँ शामिल हैं

मध्यस्थ या न्यायाधिकरण किसी विवाद की सुनवाई के लिए, जैसे सहमति की कमी, या मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर आने वाला विवाद। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, दायरे और वैधता के संबंध में मुद्दों को हमेशा अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये मुद्दे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। स्वीकार्यता के मुद्दे हालांकि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित हैं, जैसे कि पूर्व-मध्यस्थता आवश्यकताओं का उल्लंघन, उदाहरण के लिए, मध्यस्थता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता

मध्यस्थता की शुरुआत, या किसी दावे को चुनौती देना या दावे का एक हिस्सा या तो समय-वर्जित है, या निषिद्ध है, जब तक कि कुछ पूर्व शर्त पूरी नहीं हो जाती है। स्वीकार्यता दावे की प्रकृति या उससे जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित है। अ.

स्वीकार्यता का मुद्दा दावे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के लिए कोई चुनौती नहीं है। सीमा का मुद्दा, संक्षेप में,

दावे की रखरखाव या स्वीकार्यता पर जाता है, जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। उदाहरण के लिए, एक चुनौती कि एक दावा समय-वर्जित है, या कुछ पूर्व-शर्त पूरी होने तक निषिद्ध है, उस दावे की स्वीकार्यता के लिए एक चुनौती है, और मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के लिए निर्णय लेने के लिए चुनौती नहीं है। खुद का दावा करें। "न्यायाधिकरण बनाम दावा" परीक्षण को लागू करते हुए, वैधानिक समय सीमा की याचिका स्वीकार्यता की ओर जाती है क्योंकि यह दावे पर हमला करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सीमाओं के लागू क़ानून को मूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है (

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में दावा) या प्रक्रियात्मक (उपचार को छोड़कर)। सीमा का मुद्दा जो संबंधित है दावे की "स्वीकार्यता" का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा या तो प्रारंभिक मुद्दे के

रूप में, या अंतिम चरण में पक्षों द्वारा साक्षय के नेतृत्व के बाद किया जाना चाहिए। यह केवल बहुत सीमित भारत संचार निगम लिमिटेड में है।

वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

मामलों की श्रेणी, जहां इस बात पर संदेह का कोई निशान भी नहीं है कि दावा प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित है, या यह कि विवाद गैर-कानूनी है माध्यस्थम्, कि न्यायालय निर्देश देने से इनकार कर सकता है। हालाँकि, यदि थोड़ा सा भी संदेह है, तो नियम यह है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, अन्यथा यह उस पर अतिक्रमण करेगा जो अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला है। [पारस 30-32,34,35 और 37] [670-D-H; 671-A-B; 672-C-E; 675-A-B]

विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2

एस. सी. सी. 1; मायावती ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड v.

प्रद्युत देव बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714: [2019] 12

एस. सी. आर. 123; डचूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड

(2017) 9 एससीसी 729]: [2017] 10 एस. सी. आर. 285-निर्भर।

स्विसबर्ग डायमंड माइन्स (पीटीवाई) लिमिटेड और अन्य। वी.

लेसोथो साम्राज्य [2019] 1 एस. एल. आर. 263; बीबीए और अन्य। वी.

बाज और अनर। [2020] एस. जी. सी. ए 53-संदर्भित।

2.3 वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जहां दावों को प्रत्यक्ष रूप से साढ़े पांच साल से अधिक समय तक प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि नॉर्टेल ने बीएसएनएल द्वारा 04.08.2014 पर अपने दावे को अस्वीकार करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। मध्यस्थता की सूचना 29.04.2020 पर लागू की गई थी। मध्यस्थता की सूचना में, या धारा 11 के तहत दायर याचिका में, या इस न्यायालय के समक्ष, किसी भी हस्तक्षेप तथ्य के बारे में कोई अभिकथन नहीं है जो हो सकता है, जो सीमा अधिनियम की धारा 5 से 20 के भीतर आने वाली सीमा की अवधि को बढ़ाएगा। जब तक कि लागू धारा को विशेष रूप से इंगित करने वाला कोई अनुरोधित मामला नहीं है, और यह उस तारीख से सीमा को कैसे बढ़ाता है जिस दिन कार्रवाई का कारण मूल रूप से उत्पन्न हुआ था, तब तक सीमा के समय को बचाने का कोई आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामला कार्रवाई के कारण से कोई विवाद नहीं होने का मामला है।

यह 04.08.2014 पर उत्पन्न हुआ, जब नॉर्टेल द्वारा किए गए दावों को बीएसएनएल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने अंतिम विधेयक की अस्वीकृति के तुरंत बाद सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 55 (जो अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए सीमा प्रदान करता है) के अनुसार शुरू हुई सीमा की अवधि को बढ़ाने वाली कोई घटना नहीं बताई है।

कटौती। मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस समय की दृष्टि से वर्जित है, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

और इस मामले के तथ्यों में पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। [पारस 38,39] [675-बी-एफ; 676-बी-सी]

3. निष्कर्ष

(i) धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा की अवधि सीमा अधिनियम, 1963 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगी। सीमा की अवधि उस तारीख से चलना शुरू हो जाएगी जब मध्यस्थ की नियुक्ति में विफलता होती है; यह सुझाव दिया गया है कि संसद इस प्रावधान के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, जो मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के उद्देश्य के अनुरूप है; (ii) दुर्लभ और असाधारण मामलों में, जहां दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं, और यह स्पष्ट है कि कोई विवाद नहीं है।

न्यायालय निर्देश देने से इनकार कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 13.10.2020 और 14.01.2021 के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। दाखिल किया गया आवेदन

परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा धारा 11 के तहत खारिज कर दिया जाता है। [पारस 40,41] [676-सी-जी]

S.S.Rathore v. मध्य प्रदेश राज्य (1989) 4 एस. सी. सी. 582; भारत संघ और अन्य। वी. हर दयाल (2010) 1 एस. सी. सी. 394; सी. एल. पी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। गुजरात ऊर्जा विकास

निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. (2020) 5 एस. सी. सी. 185-पर निर्भर था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम। मेसर्स नेविगेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 02.03.2021 2021 की सी. ए. संख्या 791 में; बिहार राज्य और अन्य। वी. बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति (2018) 9 एससीसी 472 [2018] 7 एससीआर 1147; समेकित

इंजीनियरिंग वी। प्रधान सचिव, सिंचाई (2008) 7 एस. सी. सी. 169 [2008] 5 एस. सी. आर. 1108; सी. बुधराजा बनाम।

अध्यक्ष, उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड (2008) 2 एस. सी. सी. 444: [2008] 1 एससीआर 821; जियो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2020) 14 एस. सी. सी. 643: [2019] 11 एस. सी. आर. 1108; एस. बी. पी. एंड कंपनी v. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4

पूरक। एस. सी. आर. 688; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267:

[2008] हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

13 एस. सी. आर. 638; भारत संघ और अन्य। वी. मास्टर निर्माण कंपनी (2011) 12 एस. सी. सी. 349: [2011] 5

एस. सी. आर. 853; उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम बनाम।

उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 455

-

संदर्भित किया गया।

(6) एम. एच. एल. जे. 316; दीपदर्शन बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड वी. सरोज (2019) 1 एयर बम आर 249; प्रसार भारती बनाम। माँ।

संचार 2010 (115) डी. आर. जे. 438 (डी. बी.); स्वर्ण रथ वी। मुकेश पनिका 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल

10050 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर 1147

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[2008] 5 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2008] 1 एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2019] 11 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2008] 13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2011] 5 एससीआर 853

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2019] 12 एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

(2020) 2 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(2021) 2 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

(1989) 4 एस. सी. सी. 582

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

(2010) 1 एस. सी. सी. 394

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

(2020) 5 एससीसी 185

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 84

एफ 2021

उच्च निगम के 13.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एर्नाकुलम में मध्यस्थता की धारा 11 के तहत याचिका

संबद्धता अधिनियम, 1996 2020 का ए. आर. सं. 55 आदेश दिनांक 14.01.21

2021 की याचिका आर. पी. संख्या 9।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अरविंद दातार, आर. डी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रदीप कुमार माथुर, समीर अग्रवाल, चिरंजीव जौहरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। नीरज कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। भरत सिंह, आशीष पांडे, राजेश कुमार सिंह, अमित पवन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंद्र मल्होत्रा, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. वर्तमान अपीलें हमारे विचार के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती हैं: (i) आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("1996 अधिनियम") की धारा 11; और (ii) क्या न्यायालय इसके तहत निर्देश देने से इनकार कर सकता है।

धारा 11 जहाँ दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं?

2. (क) जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में वर्तमान मुद्दे हमारे विचार के लिए उत्पन्न हुए हैं, वह एक निविदा अधिसूचना जारी करना है अपीलकर्ता-कंपनी (इसके बाद "बीएसएनएल" के रूप में संदर्भित) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सर्कल और चेन्नई टेलीफोन जिले को कवर करने वाले दक्षिणी क्षेत्र में जी. एस. एम. आधारित सेलुलर मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, इन्सुलेशन, परीक्षण और चालू करने के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही है। निविदा प्रक्रिया में, प्रतिवादी

कंपनी [इसके बाद "नॉर्टेल" के रूप में संदर्भित] को खरीद आदेश दिया गया था। खरीद आदेश के तहत कार्य पूरा होने पर, बी. एस. एन. एल. ने भुगतान के लिए Rs.99,70,93,031 की राशि काट ली/रोक ली।

परिसमापन क्षति और अन्य शुल्क। (ख) नॉर्टेल ने 13.05.2014 दिनांकित संचार के माध्यम से उक्त राशि के भुगतान के लिए दावा किया।

बी. एस. एन. एल. ने 04.08.2014 दिनांकित पत्र के माध्यम से नॉर्टेल के दावे को खारिज कर दिया।

(घ) बी. एस. एन. एल. ने दिनांक 09.06.2020 के जवाब के माध्यम से तर्क दिया कि मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मामला पहले से ही 04.08.2014 पर बंद कर दिया गया था, और 1996 के अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस का समय वर्जित था।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

(ई) नॉर्टेल ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत केरल उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। द हाई

न्यायालय ने दिनांक 13.10.2020 के आदेश के माध्यम से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया।

(च) बी. एस. एन. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे 14.01.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

(छ) वर्तमान सिविल अपील बी. एस. एन. एल. द्वारा क्रमशः 13.10.2020 और 14.01.2021 दिनांकित आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। (ज) इस न्यायालय ने उत्पन्न हुए कानूनी मुद्दों पर न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

विचार के लिए। 3. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. डी. अग्रवाल, प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज कुमार जैन और विद्वान न्यायमित्र श्री अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है।

4. बीएसएनएल की ओर से प्रस्तुतियाँ

बी. एस. एन. एल. ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए कार्रवाई का कारण 04.08.2014 पर उत्पन्न हुआ जब नॉर्टेल द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया गया।

मध्यस्थता समझौते का आह्वान समय की दृष्टि से वर्जित है, न्यायालय को मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहिए। मध्यस्थता का आह्वान करने और मध्यस्थ की नियुक्ति की सीमा इस प्रकार है - एक नागरिक कार्रवाई के बराबर, और सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा कवर किया जाएगा। दावेदार द्वारा की गई कार्रवाई अनिवार्य रूप से उस तारीख से 3 साल की वैधानिक अवधि के भीतर होनी चाहिए जिस दिन आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

धारा 11 (6ए) में "मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच" वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि [2021] 2 एस. सी. आर.

न्यायालय एक औपचारिक अभ्यास नहीं है, लेकिन एक निश्चित डिग्री की आवश्यकता है

संदर्भ देने से पहले जाँच करने पर।

5. नॉर्टेल की ओर से प्रस्तुतियाँ

यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 11 में संशोधन द्वारा

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 पूर्व-संदर्भ स्तर पर जांच का एक सीमित दायरा प्रदान करता है जो केवल इन तक ही सीमित है - धारा 11 की उप-धारा (6ए) के तहत मध्यस्थता समझौते का "अस्तित्व"। कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, कथित रूप से समय पर प्रतिबंध लगाए जाने के दावों के संबंध में आपत्ति का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से पूर्व-संदर्भ स्तर पर जांच को मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" तक सीमित कर दिया।

यू/एस आवेदन दाखिल करने की सीमा के बीच का अंतर।

11 , और अंतर्निहित दावों के संबंध में 2015 के संशोधन के बाद जीवित नहीं रहता है, क्योंकि न्यायालय की भूमिका केवल पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने तक सीमित है।

धारा 11 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु नोटिस जारी करने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति है।

29.04.2020 पर मध्यस्थता। इसलिए कार्रवाई का कारण निरंतर था। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया था कि सीमा के मुद्दे का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

6. पहले मुद्दे पर चर्चा 1996 का अधिनियम शीघ्र समाधान के लिए बनाया गया है -

विवाद और विभिन्न प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जा रही है। 1996 के अधिनियम में विभिन्न समय-सीमाएँ प्रदान की गई हैं जैसे कि:

((i)

धारा 8 में प्रावधान है कि विवादों के संदर्भ के लिए एक आवेदन

मध्यस्थता के लिए, पहले प्रस्तुत करने के बाद दायर नहीं किया जाएगा

विवाद के सार पर बयान;

(ii) धारा 9 (2) में प्रावधान है कि जहां कोई न्यायालय संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है, मध्यस्थता कार्यवाही ऐसे आदेश की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर शुरू की जाएगी।

(iii) धारा 13 में प्रावधान है कि जहां एक मध्यस्थ के खिलाफ चुनौती दी जाती है, उसे न्यायाधिकरण के गठन के 15 दिनों के भीतर या भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में जागरूक होने के बाद उठाया जाना चाहिए।

वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

धारा की उप-धारा (3) में उल्लिखित कोई भी परिस्थितियाँ

12 ;

(iv) धारा 16 (2) में प्रावधान है कि एक याचिका कि न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाई जाएगी।

बचाव का बयान;

(v) धारा 34 (3) न्यायालय के समक्ष आपत्तियां दायर करने के लिए हस्ताक्षरित पुरस्कार की प्राप्ति के बाद अधिकतम 120 दिनों की अवधि प्रदान करती है।

7. 1996 के अधिनियम में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था ताकि मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के लिए आगे के प्रावधानों को शामिल किया जा सके: (i) धारा 11 में संशोधन किया गया है -

उप-धारा (13) अंत:स्थापित करें जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय, या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान के समक्ष किए गए आवेदन का यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाएगा, और याचिका का निपटान करने का प्रयास विपरीत पक्ष पर नोटिस की सेवा की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा; (ii) धारा 29ए में आदेश दिया गया है कि मध्यस्थता की कार्यवाही अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए; (iii) धारा 34 को उप-धारा (6) सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि धारा 34 के तहत एक आवेदन का निपटान उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा जिस पर आपत्तियां दायर करने की सूचना दी जाती है।

इनमें से कुछ प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है, जैसे कि धारा 8 और 34 (3); जबकि धारा 34 (6) जैसे अन्य को निर्देशिका 2 माना गया है।

8. मध्यस्थता में 2015 के संशोधनों के साथ समकालीन

अधिनियम 1996, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग और जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान था।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि एक अपील

' दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम। मेसर्स नेविगेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, सी. ए. सं. 791/2021 ने 02.03.2021 पर निर्णय लिया। 2 बिहार राज्य और अन्य। वी. बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति (2018) 9 एससीसी 472।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 14 में आगे यह प्रावधान है कि वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय या वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अपीलों पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

9. आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए

धारा 11, हमें पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 इसके लिए कोई अवधि निर्धारित करता है।

धारा 11 दाखिल करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं करती है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उप-धारा (6) के तहत आवेदन। चूंकि 1996 के अधिनियम में धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्दिष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सीमा अधिनियम, 1963 का सहारा लेना होगा, जिसमें प्रावधान है कि सीमा अधिनियम मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसा कि यह न्यायालय में कार्यवाही पर लागू होता है।

" 43. – सीमाएँ

(1) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) मध्यस्थताओं पर लागू होगा, जैसा कि यह न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होता है।

समेकित अभियांत्रिकी में v. प्रधान सचिव,

सिंचाई, 3 इस न्यायालय ने अभिनिर्णय दिया कि:

" 45. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एसी अधिनियम की धारा 43 सीमा अधिनियम के प्रावधानों को केवल मध्यस्थता के लिए लागू करती है, जिससे अदालत में मध्यस्थता से संबंधित किसी भी कार्यवाही के लिए आवेदन को बाहर करने का इरादा व्यक्त किया जाता है।

अपीलार्थी का तर्क अनुभाग की उपेक्षा करता है और उसे नजरअंदाज करता है 29 (2) सीमा अधिनियम और ए. सी. अधिनियम की धारा 43 (1)। अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि

अधिनियम मध्यस्थताओं पर वैसा ही लागू होगा जैसा वह इन मामलों की कार्यवाही पर लागू होता है।

अदालत। ए. सी. अधिनियम की धारा 43 का उद्देश्य सीमा अधिनियम को अदालत के समक्ष कार्यवाही के लिए लागू नहीं करना है, लेकिन

दूसरी ओर, सीमा अधिनियम को लागू करें

मध्यस्थताएँ। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सीमा अधिनियम केवल न्यायालय में कार्यवाही पर लागू होता है, और लेकिन धारा 43 में व्यक्त प्रावधान के लिए, सीमा अधिनियम मध्यस्थता पर लागू नहीं होता, क्योंकि मध्यस्थ निजी न्यायाधिकरण होते हैं न कि अदालतें। ए. सी. अधिनियम की धारा 43, सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को मध्यस्थता पर लागू करने के अलावा, दोहराती है कि सीमा अधिनियम

3 (2008) 7 एससीसी 169।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अदालत में कार्यवाही पर लागू होता है। अतः, के प्रावधान सीमा अधिनियम, 1963 एसी अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है।

न्यायालय और मध्यस्थता दोनों में, स्पष्ट रूप से सीमा को छोड़कर

एसी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा बहिष्कृत "।

(जोर दिया गया)

10. चूंकि सीमा की अनुसूची में कोई भी अनुच्छेद नहीं है

अधिनियम, 1963 धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने के लिए एक समय अवधि प्रदान करता है, यह सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अवशिष्ट प्रावधान द्वारा कवर किया जाएगा।

सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 प्रदान करता है:

तीसरा विभाग-आवेदन

आवेदन का विवरण	किस अवधि से सीमा दौड़ना शुरू करें	आवेदन करने का अधिकार कब
137 . कोई अन्य आवेदन जिसके लिए कोई तीन साल का समय नहीं है सीमा की अवधि प्रदान की गई है इस प्रभाग में कहीं और	उपार्जित	

11. यह अब काफी अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक दाखिल करने की सीमा

धारा 11 के तहत आवेदन मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस के जारी होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफलता पर उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में, धारा 11 के तहत एक आवेदन केवल उस विशेष दावे (दावों)/विवाद (विवादों) के संबंध में मध्यस्थता की सूचना के बाद दायर किया जा सकता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना है [जैसा कि अधिनियम की धारा 21 द्वारा विचार किया गया है] और नियुक्ति करने में विफलता है।

12. नियुक्ति के लिए याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि

किसी मध्यस्थ की अवधि को अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध में किए गए मूल दावों पर लागू सीमा की अवधि के साथ भ्रमित या मिश्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसे दावों के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम, 1963 के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत निर्धारित की गई है। अंतर्निहित मूल विवादों को तय करने की सीमा अनिवार्य रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने से अलग है। इस स्थिति को मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 20 के तहत भी मान्यता दी गई थी।

सी. बुधराजा बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। अध्यक्ष, उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1940 के अधिनियम की धारा 37 (3) में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के उद्देश्य के लिए, एक मध्यस्थता तब शुरू हुई मानी जाती है जब एक

4 (2008) 2 एससीसी 444।

21] 2 एस सी आर।

मध्यस्थता समझौते का पक्ष दूसरे पक्ष पर कार्य करता है, एक नोटिस जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इस निर्णय का अनुच्छेद 26 इस प्रकार है:

" 26. अधिनियम की धारा 37 (3) में प्रावधान है कि

सीमा अधिनियम, एक मध्यस्थता तब शुरू की गई मानी जाती है जब मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कार्य करता है, एक नोटिस जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इस तरह का नोटिस 4-6-1980 पर दिए जाने के बाद, यह देखना होगा कि क्या दावे उस तारीख को समय पर थे। यदि दावों को 4-6-1980 पर वर्जित किया गया था, तो यह इस प्रकार है कि दावों को मध्यस्थ द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया जाना था कि दावों को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। उक्त अवधि का अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत याचिका दायर करने की सीमा की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक धारा 8 (2) के तहत याचिका का संबंध है, कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होगा जब दूसरा पक्ष मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस का पालन करने में विफल रहता है। इसलिए, मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली धारा 8 (2) के तहत याचिका दायर करने की सीमा की अवधि को दावा करने की सीमा की अवधि के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। मेजर (सेवानिवृत्त) मामले में इस न्यायालय। इंदर सिंह

रेखी वी. डीडीए [(1988) 2 एससीसी 338], पंचु गोपाल बोस बनाम। पोर्ट ऑफ कलकत्ता [(1993) 4 एस. सी. सी. 338] और उत्कल वाणिज्यिक निगम के लिए न्यासी मंडल। वी. सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड [(1999) 2 एस. सी. सी. 571] भी इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

13. विभिन्न उच्च न्यायालयों का विचार है कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 धारा के तहत एक आवेदन पर लागू होगा।

11 मध्यस्थता अधिनियम।

1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदनों पर अनुच्छेद 137 के लागू होने का सवाल बॉम्बे के समक्ष विचार के लिए आया।

लीफ बायोटेक बनाम में उच्च न्यायालय। नगर निगम नासिक 3 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवेदन यू/एस के लिए सीमा की अवधि। 11 यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगा।

इसके बाद, दीपदर्शन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दा तैयार किया:

" ((ii) क्या सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 137 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर मध्यस्थता आवेदन पर लागू होगा और यदि लागू होता है तो क्या

5 2010 (6) एमएच एलजे 316। 6 (2019) 1 एयर बम आर 249।

हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

सीमा अधिनियम, 1963 इस मध्यस्थता आवेदन पर लागू होगा और यदि धारा 5 इस मध्यस्थता आवेदन पर लागू होती है, तो क्या आवेदक ने इसके लिए पर्याप्त कारण बताया है। इस मध्यस्थता आवेदन को दाखिल करने में देरी की क्षमा?

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः " 42. मेरे विचार में, चूंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी आवश्यक है,

सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 137 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर किए गए ऐसे आवेदन पर लागू होगा। मेरे विचार में, चूंकि सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 137 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थता आवेदन पर लागू होगा, इसलिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 धारा के तहत दायर मध्यस्थता आवेदन पर भी लागू होगी।

11 (6) मध्यस्थता अधिनियम

46. यह विवाद में नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत, मध्यस्थता समझौते को रिकॉर्ड पर लेने और न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन की आवश्यकता थी। चूंकि धारा 20 के तहत उक्त कार्यवाहियों को एक उपयुक्त न्यायालय के समक्ष दायर करने की आवश्यकता थी, इसलिए सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के प्रावधान ऐसे उपयुक्त न्यायालय के समक्ष दायर ऐसी कार्यवाहियों पर लागू थे। मेरे विचार में, चूंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) या धारा 11 (9) के तहत कार्यवाही भी अब उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी आवश्यक है, जैसा भी मामला हो। अनुसूची का अनुच्छेद 137 सीमा तक

अधिनियम, 1963 लागू होगा। यह विवाद में नहीं है कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुसूची के किसी अन्य अनुच्छेद में किसी अन्य अवधि के लिए प्रावधान नहीं है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) या धारा 11 (9) के तहत दायर मध्यस्थता आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा। 47. यह विवाद में नहीं है कि अनुसूची का अनुच्छेद 137

सीमा अधिनियम, 1963, इस तरह का आवेदन उस तारीख से तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है। मेरे विचार में, सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत,

उच्च न्यायालय या माननीय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) या धारा 11 (9) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय उस तारीख से लागू होगा जब मध्यस्थता समझौते का आह्वान करने वाला नोटिस दूसरे पक्ष और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है।

21] 2 एस सी आर।

प्रतिद्वंद्वी द्वारा सुझाए गए नाम को अस्वीकार करना या अस्वीकार करना

धारा 11 के प्रावधानों या मध्यस्थता समझौते में निर्धारित सहमति प्रक्रिया के अनुसार उसमें विचार किए गए समय के भीतर किसी अन्य नाम का सुझाव दें या विशेष रूप से ऐसे अन्य पक्ष की स्थिति में किसी भी मध्यस्थ को नियुक्त करने से इनकार करें।

एक नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते।

48. मेरे विचार में, सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित सीमा जो एक आवेदन पर लागू होती है। उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) या धारा 11 (9) के तहत सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के विभिन्न अन्य अनुच्छेदों में निर्धारित दावों पर लागू सीमा की अवधि के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है। सीमा की ये दोनों अवधियाँ अर्थात एक लागू होती है

जिस अधिनियम पर सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 137 लागू होता है, वह सीमा की दो अलग-अलग अवधि है और एक-दूसरे पर लागू किया गया। "

उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी (सी) संख्या 305/2019) को दिनांक 16.02.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

14. अनुच्छेद 137 की प्रयोज्यता पर उच्च न्यायालयों के अन्य निर्णय प्रसार भारती बनाम हैं। माँ संचार और स्वर्ण रथ

वी. मुकेश पनिकास को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारित किया। गोल्डन चैरियट के मामले में दायर एसएलपी को एसएलपी (सी) संख्या 3658/2019 में 31.01.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

15. इन सभी निर्णयों में तर्क यह प्रतीत होता है कि चूंकि धारा 11 के तहत एक आवेदन कानून की अदालत में दायर किया जाना है, और चूंकि नहीं

सीमा अधिनियम, 1963 का विशिष्ट अनुच्छेद लागू होता है, अवशिष्ट अनुच्छेद लागू हो जाएगा। प्रभाव यह है कि धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा की अवधि मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार करने की तारीख से 3 साल है, या 30 दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

16. जियो मिलर एंड कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड वी. अध्यक्ष, राजस्थान

विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि 1996 के अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) और (3) को पढ़ने पर, सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम पर लागू होंगे। 2010 (115) डी. आर. जे. 438 (डी. बी.)। 8 2018 इस निर्णय के खिलाफ एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10050, एस. एल. पी. (सी) संख्या 40627/2018 को 31.01.2019 पर खारिज कर दिया गया था।

9 (2020) 14 एससीसी 643,649।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

इस निर्णय का अनुच्छेद 14 इस प्रकार है: " 14. 1996 के अधिनियम की धारा 43 (1) और (3) 1940 के अधिनियम की धारा 37 (1) और (4) के समान हैं। यह सर्वसम्मत है कि सीमा की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 137 के आधार पर

अधिनियम, 1963-विवाद के संदर्भ के लिए सीमा अवधि

1940 के अधिनियम के तहत किसी न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता या मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग के लिए (उड़ीसा राज्य बनाम देखें। दामोदर दास [उड़ीसा राज्य बनाम। दामोदर दास, (1996) 2 एस. सी. सी. 216]) के साथ-साथ 1996 का अधिनियम (देखें ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केरल राज्य [ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केरल राज्य (2018) 14 एस. सी. सी. 265: (2018) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 612] उस तारीख से तीन साल है जिस दिन कार्रवाई का कारण या दावा जिसे पहले मध्यस्थता करने की मांग की जाती है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त कानून को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि धारा 11 के तहत आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। नॉर्टेल ने दिनांकित 29.04.2020 पत्र के माध्यम से मध्यस्थता का नोटिस जारी किया, जिसे खारिज कर दिया गया। बी. एस. एन. एल. ने अपने जवाब दिनांक 09.06.2020 का वीडियो बनाया। धारा 11 के तहत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष 24.07.2020 यानी मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध की अस्वीकृति के 3 साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरे मुद्दे पर चर्चा

19. अब हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो विचार के लिए उत्पन्न हुआ है अर्थात क्या न्यायालय इसके तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

धारा 11 एक ऐसे मामले में भी मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बाध्य है जहां दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं।

इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, हमें अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे की जांच करनी होगी।

धारा 11 का विधायी इतिहास

संशोधन-पूर्व स्थिति

मूल अधिनियम के तहत, धारा 11 के तहत विधायी योजना यह थी कि यदि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत हुए थे, तो नियुक्ति उस प्रक्रिया के अनुसार की जानी थी। पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अभाव में, घरेलू मध्यस्थता में नियुक्ति की पूर्वनिर्धारित शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाएगा। एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, डिफ़ॉल्ट शक्ति

भारत के मुख्य न्यायाधीश या व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाएगा, या

उनके द्वारा नामित संस्था।

उच्चतम न्यायिक प्राधिकारी को नियुक्ति की शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य नियुक्ति की प्रक्रिया को विश्वसनीयता देना था।

20. एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 1 1 ए सेवन-जज

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 के दायरे पर विचार किया और कहा कि अधिनियम की योजना में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को यह तय करने की आवश्यकता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग करने से पहले धारा 7 के संदर्भ में कोई मध्यस्थता समझौता है या नहीं। पूर्व-संदर्भ चरण में शक्ति का दायरा इस प्रकार होगा:

" 33. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 ने अदालत को उस ओर से संपर्क करने पर एक चूक प्रदान करने में सक्षम बनाया। उस अधिनियम की धारा 20 ने अदालत को पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने में सक्षम बनाया

मध्यस्थता समझौता और फिर एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए

विवादों पर निर्णय लेना। यह कहना संभव है कि अधिनियम की धारा 11 (6) दोनों शक्तियों को जोड़ती है। हो सकता है कि यह पुराने अधिनियम की धारा 8 के अनुरूप हो। लेकिन सत्ता को बुलाने के लिए

10 1996 के अधिनियम की धारा 11 (9)। 1 1 11 (2005) 8 एस. सी. सी. 618।

हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

केवल एक प्रशासनिक के रूप में, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। सबसे पहले, शक्ति एक प्रशासनिक प्राधिकरण को नहीं, बल्कि एक न्यायिक प्राधिकरण, राज्य या देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण को प्रदान की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे अधिकारी प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति, एक क़ानून से प्राप्त शक्ति पर आधारित है और क़ानून स्वयं उन शर्तों को निर्धारित करता है जो अधिनियम के लिए मौजूद होनी चाहिए।

उस शक्ति का प्रयोग करें। उस शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया में, स्पष्ट रूप से पक्षों को सुने जाने का अधिकार होगा और

जब किसी एक पक्ष की दलीलों को स्वीकार करने या उन्हें निरस्त करने पर शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का अस्तित्व पाया जाता है, तो यह आवश्यक रूप से न्यायिक प्रकृति का एक आदेश होता है, जो अधिनियम या किसी अन्य क़ानून या संविधान द्वारा परिकल्पित किसी भी उपलब्ध न्यायिक चुनौती के अधीन अंतिम होता है। उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह मानना उचित प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायाधीश एक न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।

मध्यस्थ। 39. यह परिभाषित करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीश वास्तव में क्या हैं,

अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के साथ संपर्क किया जाता है, उस स्तर पर निर्णय लेना है। जाहिर है, उन्हें इस मायने में अपना अधिकार क्षेत्र तय करना होगा कि क्या प्रस्ताव देने वाले पक्ष ने सही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसे यह तय करना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है और क्या वह व्यक्ति जिसने उसके सामने अनुरोध किया है, वह इस तरह के मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है।

समझौता। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह भी निर्णय ले सकता है

सवाल यह है कि क्या दावा एक मृत दावा था; या एक लंबे समय से वर्जित दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पक्षों ने अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके लेनदेन का समापन किया है। उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है कि क्या किया गया एक लाइव दावा, वह है जो मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है। उस सवाल को छोड़ना उचित होगा।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा माध्यस्थम में शामिल दावों के गुण-दोष के साथ साक्षय लेने पर निर्णय लिया जाना। मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना होता है कि क्या आवेदक ने संतुष्ट किया है

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए शर्तें। इन पहलुओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

मुख्य न्यायाधीश या तो हलफनामों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं या ऐसे साक्षय ले सकते हैं या ऐसे साक्षय दर्ज करा सकते हैं, जो आवश्यक हो। हम सोचते हैं कि अधिनियम के संदर्भ में इस प्रक्रिया को अपनाने से मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की सर्वोत्तम पूर्ति होगी, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के विभिन्न चरणों में अदालत में बहुत अधिक दृष्टिकोण के बिना।

47. ((iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को इस निर्णय के पूर्व भाग में बताए गए प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। ये अनुरोध, एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, एक जीवित दावे के अस्तित्व या अन्यथा, अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त के अस्तित्व और उनकी योग्यताओं पर विचार करने के लिए उनका अपना अधिकार क्षेत्र होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ "।

21. इसके बाद, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम. बोघारा

पॉलीफैब प्रा. लिमिटेड, 1 2 न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश,/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तय किए जाने वाले प्रारंभिक मुद्दों को और जिन्हें मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना चाहिए, उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

((i)

जिन मुद्दों के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति बाध्य हैं यह तय करें कि आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है या नहीं।

मध्यस्थता समझौता; और क्या वह पक्ष जिसने किया है

आवेदन, समझौते का एक पक्ष है;

((ii) जिन मुद्दों पर मुख्य न्यायाधीश सीमा पर निर्णय ले सकते हैं, वे हैं: क्या दावा एक मृत या लंबे समय से वर्जित दावा है, या एक जीवित दावा है; क्या पक्षों ने निष्कर्ष निकाला है

अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके अनुबंध/लेनदेन, या पक्ष को अंतिम प्राप्त हुआ है

बिना किसी आपत्ति के भुगतान;

(iii) जिन मुद्दों को तय करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे हैं कि क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के भीतर आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो

एक विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है, और जिसे "अपवाद" या बाहर रखा गया है।

मध्यस्थता से); शामिल दावों के गुण।

1 2 (2009) 1 एस. सी. सी 267।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

प्रमाणपत्र, या निपटान समझौता धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था, धारा 11 के स्तर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जब प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा विवाद वास्तविक और वास्तविक था। यदि विवाद प्रथम दृष्टया विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, तो मामला होगा मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा। धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव का एक गंजा अनुरोध पर्याप्त नहीं था, जब तक कि ऐसा पक्ष जो इस तरह की व्यवस्था स्थापित करता है।

याचिका अभिलेख पर सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करने में सक्षम थी।

23. संशोधन के बाद की स्थिति

1996 के अधिनियम में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था जो 1996 से प्रभावी हुआ था। 23.10.2015 . उक्त संशोधन भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था।

2015 के संशोधन अधिनियम में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए:

(i) इसने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिस्थापित किया

संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू मध्यस्थता के मामले में नियुक्ति की डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति; और, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संबंध में, डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

((ii) इसने धारा 11 में उप-धारा (6 ए) और (6 बी) अंत:स्थापित की, जो

इस प्रकार पढ़ता है:

" 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

(6 क) उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद,

(6 ख) द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था का पदनाम उच्चतम न्यायालय, या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, के लिए

इस धारा के उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जाएगा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रत्यायोजन।

13 (2011) 12 एससीसी 349।

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (6 ए) एक गैर-अवरोधक खंड द्वारा प्रदान की गई है कि

संशोधन का प्रभाव यह था कि यदि मध्यस्थता समझौता विवाद में नहीं था, अन्य सभी मुद्दे

कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत का सुदृढीकरण, जो न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता पर शासन करने का अधिकार देता है,

की वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति सहित

मध्यस्थता समझौता; और इस प्रकार कम से कम न्यायिक पूर्व-संदर्भ चरण में हस्तक्षेप।

((ग) उप-धारा (6 ख) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित की गई थी कि पदनाम

किसी व्यक्ति या संस्था का, या तो उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय, धारा 11 के तहत नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में,

न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा।

धारा 11 में संशोधन विधायी रूप से लाए गए थे।

एस. बी. पी. एंड कंपनी, बोघरा पॉलीफैब, मास्टर कंस्ट्रक्शन आदि सहित निर्णयों की पंक्ति को रद्द करें, जिसने पूर्व-संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की शक्ति का दायरा बढ़ाया था।

स्टेज।

24. उप-धारा (6 ए) के मामले में विचार किया गया

ड्यूरो फेलगुएरा एसए वी। गंगावरम बंदरगाह Ltd.[1]4, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायी नीति नियुक्ति स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए थी। धारा 11 के तहत एक आवेदन में, न्यायालय को संदर्भ देने से पहले केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को देखें। 2015 के संशोधनों के बाद, अदालतों को केवल इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं।

" 48. 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 11 (6-ए) इस प्रकार है -

निम्नलिखित है: " 11. (6

- (क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय

न्यायालय, उप-धारा (4) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के बावजूद,

किसी भी न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश,

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच।

(जोर दिया गया)

1 4 (2017) 9 एस. सी. सी. 729।

हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

पहलू-एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। अगला सवाल यह है कि यह तय करने के लिए कौन से कारक हैं कि मध्यस्थता समझौता है या नहीं। इसका समाधान सरल है-इसकी आवश्यकता है यह देखा जाए कि क्या समझौते में एक खंड है जो प्रदान करता है

के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता

समझौते के पक्षकार।

..... 59. 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का दायरा

एस. बी. पी. एंड कंपनी में लिए गए निर्णयों को देखते हुए यह काफी व्यापक था।

[एस. बी. पी. एंड कं. वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] और बोघारा पॉलीफैब [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 117] यह पद

यह 2015 में लाए गए संशोधन तक जारी रहा। इसके बाद

संशोधन, अदालतों को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। विधायी नीति और उद्देश्य अनिवार्य रूप से न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना है।

मध्यस्थ की नियुक्ति का चरण और यह इरादा

धारा 11 (6-ए) में शामिल का सम्मान किया जाना चाहिए। 25. मायावती ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम। प्रद्युत

बर्मन 1, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 11 (6 ए) के तहत टी की शक्ति के दायरे को संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए। में।

ग्राफ 10, इसे निम्नानुसार माना गया था:

" 10. यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें यह जाना शामिल होता कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। यह स्थिति होने के कारण, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. प्राचीन कला निर्यात (पी) लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 362: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 785], धारा 11 (6-ए) के रूप में एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. [डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017)

9 एससीसी 729 "

9) 8 एससीसी 714।

21] 2 एस सी आर।

26. उत्तराखंड में पूर्व सैनिक कल्याण निगम बनाम। उत्तरी

कोल फील्ड लिमिटेड, 1 6 16 इस न्यायालय ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया, जिसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" 7.6 . विधि आयोग ने 246 वीं रिपोर्ट में [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन, रिपोर्ट संख्या 246, भारतीय विधि आयोग (अगस्त 2014), पी। 20.] सिफारिश की गई कि:

" 33. ..... आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल इन तक सीमित है -

ऐसी स्थितियाँ जहाँ न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहां तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षों को संदर्भित करेगा। मध्यस्थता के लिए, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा।

संशोधित में निहित विधायी जनादेश को ध्यान में रखते हुए

धारा 11 (6ए), न्यायालय को अब केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है। अन्य सभी प्रारंभिक या सीमा मुद्दों को धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कोम्पेटेंज़-काम्पेटेंज़ सिद्धांत को स्थापित करता है। कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत

कोम्पटेनज़ का तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है, और सभी अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के निर्धारण सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य पूर्व-संदर्भ स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना था, ताकि पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाए जाने पर मध्यस्थता प्रक्रिया को सीमा तक बाधित न किया जाए।

27. धारा 11 में 2019 का संशोधन

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा धारा 11 में और संशोधन किया गया है ताकि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम के संस्थागतकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

16 (2020) 2 एससीसी 455।

हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]भारत में राशन। 2019 के संशोधन अधिनियम ने धारा 11 की उप-धारा को हटा दिया है।

हालांकि, धारा 11 में संशोधन को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

समान रूप से, उप-धारा (6ए) कानून की पुस्तक में बनी हुई है,

वर्तमान के लिए धारा 11 के तहत शक्ति के दायरे को पार करता है।

2019 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने वाली अधिसूचना

एन. एन. डी. एम. टी. अधिनियम जो लागू किया गया है, इस प्रकार है:

" कानून और न्याय मंत्रालय

(कानूनी मामलों का विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

एस. ओ. 3154 (ई)। — द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में

मध्यस्थता और सुलह की धारा 1 की उप-धारा (2) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 33), केंद्र सरकार

इसके द्वारा 30 अगस्त, 2019 को उस तारीख के रूप में निर्धारित किया जाता है जिस पर

उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधान इस प्रकार होंगे -

बल:

(1) धारा 1; (2) धारा 4 से धारा 9 [दोनों समावेशी];

(3) धारा 11 से धारा 13 [दोनों सहित]; (4) धारा 15.

[एफ. नं. एच-11018/2/2017-प्रशासन। - III (एल. ए.)]

डॉ. राजीव मणि, जे. सिकरी। और कानूनी सलाहकार "

28. अधिसूचना के खंड (3) में "धारा 11" का संदर्भ

30.08.2019 संशोधन अधिनियम की धारा 11 से संबंधित है [और नहीं

1996 का प्रांतीय अधिनियम]। 2019 में धारा 11 में संशोधन

संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन अधिनियम की धारा 3 में स्थान पाता है,

एच इस प्रकार पढ़ता है:

" 3. धारा 11 का संशोधन। – प्रधान की धारा 11 में

अधिनियम, -

((i)

.....

((ख)

(iii)

((iv)

उप-धारा (6 ए) और (7) को हटा दिया जाएगा।

(v)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. धारा 11 में 2019 के संशोधन द्वारा संशोधन के बाद

अधिसूचित किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप उप-धारा (6ए) को हटा दिया जाएगा, और डिफ़ॉल्ट शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

न्यायालय, या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 11 में उप-धारा (6बी) को 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। उप-धारा (6बी) प्रदान करती है

कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के पदनाम को "न्यायिक शक्ति" का प्रत्यायोजन नहीं माना जाएगा। नतीजतन, यह न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्थान के लिए अभ्यास करने के लिए खुला नहीं होगा।

कोई न्यायिक शक्ति, और किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना, जिसमें समझौते की वैधता का मुद्दा, या विवादों की मध्यस्थता शामिल है। 2019 के संशोधन द्वारा धारा 11 की उप-धारा (8) में संशोधन [जिसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है], यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थ संस्था को निम्न के लिए सशक्त किया जाएगा: (क) एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में संभावित मध्यस्थ से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करना; और (ख) यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थ के पास मध्यस्थता समझौते द्वारा आवश्यक योग्यताएं हैं।

30. सीमा का मुद्दा

सीमा आम तौर पर तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र और स्वीकार्यता के मुद्दों के बीच एक अंतर है। 'अधिकार क्षेत्र' का मुद्दा

सुनवाई और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थों की शक्ति और अधिकार से संबंधित है

एक मामला। न्यायक्षेत्र संबंधी मुद्दों में किसी विवाद की सुनवाई के लिए मध्यस्थ या न्यायाधिकरण की क्षमता पर आपत्तियां शामिल हैं, जैसे सहमति की कमी, या

मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर आने वाला विवाद। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, दायरे और वैधता के संबंध में मुद्दों को हमेशा अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये मुद्दे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। 31. स्वीकार्यता के मुद्दे हालांकि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित हैं, जैसे कि पूर्व-मध्यस्थता आवश्यकताओं का उल्लंघन, उदाहरण के लिए, मध्यस्थता शुरू होने से पहले मध्यस्थता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता, या किसी दावे को चुनौती

देना या दावे का एक हिस्सा या तो समय-वर्जित या निषिद्ध होना, जब तक कि कुछ पूर्व-शर्त पूरी नहीं हो जाती। स्वीकार्यता दावे की प्रकृति या उससे जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित है। स्वीकार्यता का मुद्दा दावा तय करने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के लिए कोई चुनौती नहीं है।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

32. सीमा का मुद्दा, संक्षेप में, रखरखाव पर जाता है।

या दावे की ग्राह्यता, जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। उदाहरण के लिए, एक चुनौती कि एक दावा समय-वर्जित है, या कुछ पूर्व-शर्त पूरी होने तक निषिद्ध है, उस दावे की स्वीकार्यता के लिए एक चुनौती है, न कि दावे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के लिए एक चुनौती है।

33. स्विसबोर्ग डायमंड माइन्स (पीटीवाई) लिमिटेड और अन्य में। वी.

लेसोथो साम्राज्य ", सिंगापुर अपील न्यायालय ने पैराग्राफ 207 और 208 में" अधिकार क्षेत्र "और" स्वीकार्यता "के बीच अंतर किया, जो इस प्रकार है:

" 207. क्षेत्राधिकार को आम तौर पर "किसी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति" को संदर्भित करने के लिए परिभाषित किया जाता है, जबकि स्वीकार्यता का अर्थ है "क्या न्यायाधिकरण के लिए इसे सुनना उचित है": अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. v. संयुक्त मैक्सिकन राज्य आई. सी. एस. आई. डी. मामला सं. ए. आर. बी. (ए. एफ.)/98/2, कीथ हिगेट की असहमति राय (8 मई 2000) पर [58]। इसके लिए, ज़ाचरी डगलस "अधिकार क्षेत्र" को एक ऐसी अवधारणा के रूप में संदर्भित करके इस चर्चा में स्पष्टता जोड़ते हैं जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की "[न्यायनिर्णायक शक्ति के अस्तित्व" से संबंधित है, और "उस शक्ति के प्रयोग" से संबंधित एक अवधारणा के रूप में "स्वीकार्यता" और निर्णय के लिए उस शक्ति के अनुसार लाए गए दावे की उपयुक्तता]: [ज़ाचरी डगलस, द

प्रेस, 2009] पैरा 291 और 310 पर।

208. क्षेत्राधिकार और के बीच वैचारिक अंतर स्वीकार्यता केवल भाषाई स्वच्छता में एक पांडित्यपूर्ण बाल-थूकने के प्रयास के अनुसार एक अभ्यास नहीं है। निवेश संधि मध्यस्थता में इस अंतर का महत्वपूर्ण व्यावहारिक महत्व है क्योंकि एक निर्णय

अधिकारिता के संबंध में न्यायाधिकरण की समीक्षा द्वारा की जा सकती है

मध्यस्थता के स्थान पर पर्यवेक्षी अदालतें (गैर-आई. सी. एस. आई. डी. मध्यस्थताओं के लिए) या आई. सी. एस. आई. डी. समझौते के अनुच्छेद 52 (आई. सी. एस. आई. डी. मध्यस्थताओं के लिए) के अनुसार आई. सी. एस. आई. डी. तदर्थ समिति के समक्ष, जबकि स्वीकार्यता पर न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती है: अंतर्राष्ट्रीय कानून, वाणिज्य और विवाद समाधान पर वैश्विक प्रतिबिंबों में जान पॉलसन, "क्षेत्राधिकार और स्वीकार्यता", पृष्ठ 601 पर रॉबर्ट ब्रिनर (गेराल्ड अक्सेन एट अल, एड) (आईसीसी प्रकाशन, 2005) के सम्मान में लिबर एमिकोरम, पैरा 307 पर डगलस, पृष्ठ 1277 पर वाइबेल, पैरा 257 और 257 और 258, हैनो वेहलैंड, "आईसीएसआईडी कन्वेंशन के तहत कार्यवाही में क्षेत्राधिकार और स्वीकार्यता" और

1 7 [2019] 1 एसएलआर 263।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50 आँसू के बाद आई. सी. एस. आई. डी. सम्मेलन में आई. सी. एस. आई. डी. अतिरिक्त सुविधा नियमः अनसोल्ड इश्यूज (क्रिना बाल्टैग, एड) (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2016) पीपी 233-234 पर, और चिन लेंग पी 124 पर।

34. लेसोथो (ऊपर) में निर्णय के बाद बीबीए और ओआरएस में निर्णय लिया गया। वी. बाज और अन्र। , 18 जिसमें अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वैधानिक समय प्रतिबंध स्वीकार्यता की ओर जाते हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "न्यायाधिकरण बनाम दावा" परीक्षण को यह भेद करने के उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए कि क्या कोई मुद्दा अधिकार क्षेत्र या स्वीकार्यता की ओर जाता है। "न्यायाधिकरण बनाम दावा" परीक्षण यह पूछता है कि क्या आपत्ति न्यायाधिकरण पर लक्षित है (इस अर्थ में कि दावे को मध्यस्थता के लिए सहमति में दोष या चूक के कारण मध्यस्थता नहीं की जानी चाहिए), या दावे पर (जिसमें दावा स्वयं दोषपूर्ण है और इसे बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए)।

"न्यायाधिकरण बनाम दावा" परीक्षण को लागू करते हुए, वैधानिक समय सीमा की याचिका स्वीकार्यता की ओर जाती है क्योंकि यह दावे पर हमला करती है। यह नहीं करता है यह अंतर है कि क्या सीमाओं के लागू क़ानून को निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में मूल (दावे को समाप्त करने) या प्रक्रियात्मक (उपचार को छोड़कर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

35. सीमा का मुद्दा जो "स्वीकार्यता" से संबंधित है

दावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा या तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में, या पक्षों द्वारा साक्षय के नेतृत्व के बाद अंतिम चरण में तय किया जाना चाहिए। 36. विद्या द्रोलिया बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में। दुर्गा व्यापार निगम ", के तहत सत्ता के दायरे पर

धारा 8 और 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को "स्पष्ट रूप से गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों, या गैर-मध्यस्थता विवादों" को समाप्त करने के लिए एक प्राथमिक पहली समीक्षा करनी चाहिए। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना है, जहां बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है, और जब तथ्यों और कानून पर, मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। केवल तभी जब न्यायालय निश्चित हो कि

कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, या यह कि विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है, उस संदर्भ को अस्वीकार किया जा सकता है।

पैराग्राफ 144 में, अदालत ने कहा कि मायावती ट्रेडिंग के फैसले में सही माना गया था कि पटेल के फैसले में

इंजीनियरिंग को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया था।

अनुच्छेद 144 इस प्रकार है:

18 [2020] एसजीसीएए 53. 1 9 19 (2021) 2 एस. सी. सी 1.

हरत संचर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

" 144. जैसा कि पहले देखा गया है, पटेल एंग। लिमिटेड बताता है और रखता है

कि धारा 8 और 11 प्रकृति में पूरक हैं जैसा कि दोनों संबंधित हैं

मध्यस्थता के संदर्भ में। धारा 8 तब लागू होती है जब न्यायिक

कार्यवाही लंबित है और न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। कार्यवाही और मध्यस्थता के संदर्भ के लिए। अनुभाग में संशोधन

8 2016 के अधिनियम 3 को हटा नहीं दिया गया है। धारा 11 में शामिल है -

ऐसी स्थिति जहाँ पक्षकारों ने नियुक्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो एक मध्यस्थ। मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड, हमारी विनम्र राय में,

सही माना जाता है कि पटेल एंग। लिमिटेड को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है और इसलिए उप-धारा (6) को हटाने के बाद भी लागू नहीं होगा।

ए) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के लिए। मायावती ट्रेडिंग (पी)

लिमिटेड ने उद्देश्य और उद्देश्यों और इतिहास के बारे में विस्तार से बताया है

उप-धारा (6) के संदर्भ में धारा 11 में संशोधन

ए) यह स्पष्ट करने के लिए कि मूल रूप से अधिनियमित धारा, प्रतिकृति थी

पर मध्यस्थता के कानून के अनसिट्रल मॉडल के अनुच्छेद 11 के साथ

जिसे मध्यस्थता अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया और अधिनियमित किया गया।

(जोर दिया गया)

न्यायिक मंच के रूप में धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

ऑर्ट स्क्रीन और नॉकडाउन करने के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षण का अभ्यास कर सकता हैन्यायहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी। सीमित क्षेत्राधिकार ई-अदालतें त्वरित और कुशल निपटान सुनिश्चित करेंगी

अल स्टेज। रेफरल स्तर पर, न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब

' प्रकट करें "कि दावे प्रत्यक्ष रूप से समय से वर्जित और मृत हैं, या

कोई स्थायी विवाद नहीं है।

फैसले का अनुच्छेद 148 इस प्रकार है:

" 148. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 (1) में कहा गया है कि अधिनियम, 1963 माध्यस्थम पर वैसा ही लागू होगा जैसा न्यायालय पर लागू होता है।

कार्यवाही। उप-धारा (2) में कहा गया है कि

मध्यस्थता अधिनियम और सीमा अधिनियम, मध्यस्थता को माना जाएगा - धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि को प्रारंभ किया गया है। सीमा

कानून प्रक्रियात्मक है और आम तौर पर विवाद, तथ्यात्मक होने के कारण, होगा

मध्यस्थ को पाए गए तथ्यों और कानून द्वारा निर्देशित निर्णय लेने के लिए

लागू होता है। रेफरल स्तर पर अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब

यह स्पष्ट है कि दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-प्रतिबंधित और मृत हैं, या

कोई स्थायी विवाद नहीं है। अन्य सभी मामलों को संदर्भित किया जाना चाहिए। गुण-दोष पर निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को। ऐसा ही होगा।

विवादित "ना-दावा प्रमाणपत्र" या बचाव के मामले में स्थिति

नवीनता और "सहमति और संतुष्टि" के अनुरोध पर।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में देखा गया है

[20
21] 2 एस सी आर।

प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड [फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। प्रीमियम

नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 2007 यूकेएचएल 40: 2007 बस एलआर 1719
(एचएल)]

यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वाणिज्यिक पुरुष प्रवेश करते समय

लेन-देन आपस में जानबूझकर एक ऐसी प्रणाली बनाएगा जो

यह आवश्यक है कि अदालत को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या अनुबंध

गैर-मध्यस्थता, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू
कुछ हद तक न्यायपालिका के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा।

जाँच करें। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा जाँच और सुरक्षा के लिए है।

पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया जाना जब मामला है

स्पष्ट रूप से "गैर-मनमाने" और डेडवुड को काटने के लिए। द.
जब विवाद संबंधित होते हैं तो अदालत डिफ़ॉल्ट रूप से मामले को संदर्भित करती है।

गैर-मध्यस्थता के लिए स्पष्ट रूप से तर्क योग्य हैं; जब विचार किया जाता है

संक्षिप्त कार्यवाही अपर्याप्त और अनिर्णायक होगी; जब

तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष अपनाता है

रणनीतियों में देरी या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में बाधा। यह

क्या अदालत के लिए एक छोटे से मुकदमे में प्रवेश करने या विस्तृत करने का मंच नहीं है
पुनर्विलोकन ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़प लिया जा सके लेकिन

मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि करना और उसे बनाए रखना
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। ”

(जोर दिया
गया)

पैराग्राफ 244.4 में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि:

" 244.4 . अदालत को एक मामले को संदर्भित करना चाहिए यदि इसकी वैधता

जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है अर्थात "जब संदेह हो, तो संदर्भ लें"। 37. विद्या द्रोलिया में निर्णय का परिणाम इसकी पुष्टि है

डचूरो फेलगुएरा और मायावती ट्रेडिंग में कानून की स्थिति की व्याख्या की गई, जो इस क्षेत्र में बनी हुई है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विद्या द्रोलिया ने संशोधन से पहले की स्थिति को फिर से नहीं बदला है।

एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में धारित शक्ति। पटेल इंजीनियरिंग (ऊपर)।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

यह केवल बहुत ही सीमित श्रेणी के मामलों में है, जहां इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दावा प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित है, या यह कि विवाद गैर-मध्यस्थ है, कि अदालत संदर्भ देने से इनकार कर सकती है। हालांकि, अगर थोड़ा सा भी संदेह है, तो नियम यह है कि

मध्यस्थता के लिए विवाद, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मामले का अतिक्रमण करेगा।

38. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जहां दावों को प्रत्यक्ष रूप से साढ़े पांच साल से अधिक समय तक प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि नॉर्टेल ने बीएसएनएल द्वारा 04.08.2014 पर अपने दावे को अस्वीकार करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। मध्यस्थता की सूचना 29.04.2020 पर लागू की गई थी। नोटिस में एक भी कथन नहीं है

मध्यस्थता, या धारा 11 के तहत दायर याचिका, या इस न्यायालय के समक्ष, किसी भी हस्तक्षेप तथ्य जो हुआ हो सकता है, जो विस्तारित होगा

सीमा अधिनियम की धारा 5 से 20 के अंतर्गत आने वाली सीमा की अवधि। जब तक कि लागू होने वाली धारा को विशेष रूप से लागू करने वाला कोई अनुरोधित मामला नहीं है, और यह उस तारीख से सीमा को कैसे बढ़ाता है जिस पर

कार्रवाई का कारण मूल रूप से उत्पन्न हुआ, सीमा के समय को बचाने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

39. वर्तमान मामला मृत लकड़ी का मामला है/कोई विवाद नहीं है क्योंकि कार्रवाई का कारण 04.08.2014 पर उत्पन्न हुआ, जब द्वारा किए गए दावे

बी. एस. एन. एल. ने नॉर्टेल को अस्वीकार कर दिया था। प्रत्यर्थी ने कोई ऐसी घटना नहीं बताई है जो कटौती करके अंतिम विधेयक की अस्वीकृति के तुरंत बाद सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 55 (जो अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए सीमा प्रदान करता है) के अनुसार शुरू हुई सीमा की अवधि को बढ़ाएगी।

29.04.2020 दिनांकित मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस में यह कहा गया है कि:

" के बीच विभिन्न संचारों का आदान-प्रदान किया गया है तब से याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच विवाद पैदा हो गया है

याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच, गैर के संबंध में निविदा दस्तावेज के तहत देय राशि का भुगतान।

मध्यस्थता की सूचना जारी करने की सीमा की अवधि केवल पत्रों के आदान-प्रदान या केवल निपटान द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी।

चर्चा, जहाँ किसी अंतिम विधेयक को कटौती करके या अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। सीमा अधिनियम की धारा 5 से 20 समय को बाहर नहीं करती है।

20 S.S.Rathore v. मध्य प्रदेश राज्य (1989) 4 एससीसी 582। भारत संघ और अन्य। वी. हर दयाल (2010) 1 एससीसी 394। सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और अन्र। (2020) 5 एससीसी 185।

निपटान चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सीमा अधिनियम की धारा 9 यह स्पष्ट करती है कि: " जहाँ एक बार समय चलना शुरू हो जाता है, नहीं

बाद में अक्षमता या मुकदमा दायर करने या आवेदन करने में असमर्थता इसे रोकती है। "विशेष विवाद" 2 1 (दावों/राशियों सहित) को निर्धारित करते हुए मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए एक स्पष्ट सूचना होनी चाहिए जो अंतिम बिल की अस्वीकृति से 3 साल की अवधि के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर, समय सीमा प्रबल होगी।

वर्तमान मामले में, मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस जारी किया गया था 51⁄2

04.08.2014 पर दावों की अस्वीकृति के वर्षों बाद। नतीजतन, मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित है, और इस मामले के तथ्यों में पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

40. निष्कर्ष

तदनुसार, हम मानते हैं कि:

धारा के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि

((i)

11 यह सीमा अधिनियम, 1963 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगा। सीमा की अवधि उस तारीख से चलना शुरू हो जाएगी जब नियुक्ति करने में विफलता होगी

मध्यस्थ;

यह सुझाव दिया गया है कि संसद इस प्रावधान के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, जो मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान के उद्देश्य के अनुरूप है।

((ii) दुर्लभ और असाधारण मामलों में, जहां दावे प्रत्यक्ष रूप से समय-वर्जित हैं, और यह स्पष्ट है कि कोई विवाद नहीं है, न्यायालय संदर्भ देने से इनकार कर सकता है।

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सिविल अपीलों की अनुमति दी जाती है, और 13.10.2020 और 14.01.2021 दिनांकित विवादित आदेश पारित किए जाते हैं

उच्च न्यायालय को अलग कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा धारा 11 के तहत दायर आवेदन को परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाता है।

हम श्री अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रति अपनी प्रशंसा और आभार दर्ज करते हैं, जिन्होंने अल्प सूचना पर न्यायमित्र के रूप में अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे 21 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21।